राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

फोन नं. 0141–2708824, 2711070
फैक्स नं. 0141–2701367, वेब साईट: www.uniraj.ac.in

समस्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

अत्यावश्यक

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2021/ **दिनांकः**

विषयः स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा–2021 के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रायोगिक परीक्षायें पाठ्यक्रमानुसार सम्पादित करवायी जावेंगी, इसके लिए बाह्य परीक्षक की नियुक्ति की सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट www.univraj.org में College Pannel पर ऑनलाइन उपलब्ध है। प्रायोगिक विषयों की परीक्षायें अप्रेल माह से आयोजित करवाना प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:–

1. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा।
2. छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा बाह्य व आन्तरिक परीक्षक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न–पत्र तैयार कर ली जावेगी तथा एक परीक्षक द्वारा अधिकतम 100 (119 से अधिक नहीं) छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा ली जा सकेगी।
3. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उसे Decline किया जावेगा एवं इसकी सूचना ई–मेल आई.डी. drsecyuorj@gmail.com पर भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. परीक्षक के परीक्षा लेने से मना (Declined) करने पर उसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाये। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त सूचना के गलत पाये जाने पर व परीक्षक से बिना संपर्क किये ही मना (Declined) करने पर महाविद्यालय के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।
5. प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि छात्रों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावें। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
6. प्रायः यह देखने में आया है कि कई छात्र प्रायोगिक परीक्षा में, समय पर सूचना प्राप्त नहीं होने अथवा परीक्षा के दिन अन्यत्र होने की स्थिति में या अस्वस्थ्य होने पर सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जावे कि प्रायोगिक परीक्षा की तिथि की सूचना छात्रों को समय पर प्राप्त हो, के लिए महाविद्यालय की वेबसाईट/सूचनापट्ट पर तीन दिवस पूर्व प्रकाशित करें तथा विश्वविद्यालय ई–मेल आई.डी. drsecyuorj@gmail.com पर भी आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना–पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण का विवरण देते हुये विश्वविद्यालय में संपर्क करने हेतु सूचित किया जावे।
8. महाविद्यालय में समस्त छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्व छात्रों के अंकों को मैनुअल/ऑफलाइन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जाते हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किये गये हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्ड्स परीक्षक पैनल पर सम्बन्धित कक्षा के उपलब्ध लिंक (Additional/New/TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जावेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।

कृ.प.उ.

10. प्रायोगिक विषयों की परीक्षा के अंक परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षक द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी. नम्बर के द्वारा अवार्ड्स भरा जाना अनिवार्य है। प्रायोगिक परीक्षा की अंक सूचियों पर बाह्य परीक्षक एवं आन्तरिक परीक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के उपस्थिति पत्रक तथा अंकसूची की एक प्रति (University Copy) निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड भरे जाने पर पोर्टल से ही पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जावेगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर सत्यापित किये जाने पर परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जावेगा। पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर के परीक्षक को दिया जावेगा, जिन्हे परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से सम्बन्धित आई.डी. प्रूफ, आधार कार्ड एवं PAN कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
12. महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करे कि किसी भी बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित ना किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूली जावेगी।
13. प्रायोगिक परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं के सभी पैकेट पीले रंग के कपडे में पैक कर परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह की अवधि में आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करावें तथा पैकेट पर निम्न जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावें।
    - महाविद्यालय का कोड व नाम – .....
    - परीक्षा कोड एवं नाम – .....
    - विषय कोड व प्रायोगिक परीक्षा का नाम – .....
    - महाविद्यालय का नाम, पता व मोबाईल नम्बर – .....
14. परीक्षार्थियों की कुल संख्या 20 से कम होने पर एवं महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय संचालित नहीं होने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
15. प्रायोगिक परीक्षा व अवार्ड भरने के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हैल्पलाईन नम्बर 77269 53531 अथवा 1800 180 6433 पर सम्पर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में अविलम्ब विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ईमेल आई.डी. drsecyuorj@gmail.com व दूरभाष नम्बर 0141–2708824 (परीक्षा नियंत्रक) व 0141–2705883/2256651 (उप कुलसचिव गोपनीय) पर सूचित करें एवं प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जावे।
16. महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक का ऑफलाइन बिल सत्यापित ना करें। इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाइन जनरेट बिलों में भी किसी प्रकार से हस्तलिखित तौर (Manually) पर छात्रों की संख्या/अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ–साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।
17. प्रायोगिक परीक्षायें व प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन पोर्टल/हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्पन्न/दर्ज नहीं करवाये जाने पर राशि 50,000/- रू. + (20,000/- रू. प्रति छात्र) आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।
18. कोविड–19 के प्रभावस्वरूप सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Sd–
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2021/ 2469 – 72 दिनांकः 03/04/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपकुलसचिव, परीक्षा संचालन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करें।
3. निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म ।

Issued on 31.3.2021
उप–कुलसचिव (गोपनीय)